न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कविता गोदारा, आर0ए0एस0

पत्रावली आवेदन पत्र संख्या : 49/2020

गोरधन पुत्र श्री बोदूराम जाति माली नि0 आयु 65 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।

प्रार्थी,

बनाम

1. देबूराम (मृत)
   1/1 पूर्णमल । पुत्रगण स्व0 श्री देबूराम
   1/2 भींवाराम ।
   1/3 महेन्द्र ।
   1/4 मुकेश ।
   1/5 मीरा । पुत्रियां स्व0 श्री देबूराम
   1/6 सुशीला ।
   1/7 संगीता ।
   1/8 मनीषा ।
   1/9 मुन्नी ।
   1/10 ललिता ।
   1/11 गणपति पत्नी स्व0 श्री देबूराम समस्त जाति माली नि0 वेद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
2. श्यामलाल पुत्र श्री मदनलाल, जाति माली आयु 35 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
3. मूलचंद पुत्र श्री जवाहरमल, जाति माली आयु 71 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
4. शंकरलाल पुत्र श्री मालूराम जाति माली आयु 66 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
5. हीरालाल पुत्र श्री मालूराम जाति माली आयु 50 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
6. दुर्गादेवी पुत्री श्री मालूराम जाति माली आयु 68 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
7. चावली पुत्री श्री मालूराम जाति माली आयु 62 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
8. संतोष पुत्री श्री मालूराम जाति माली आयु 58 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
9. रुप्यार पुत्री श्री मालूराम जाति माली आयु 55 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
10. मंगली पुत्री श्री मालूराम जाति माली आयु 65 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

11. उम्मेद सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत आयु 58 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
12. महेन्द्र सिह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत आयु 62 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
13. सोहन सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत आयु 65 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
14. पूर्णमल पुत्र श्री नाथूराम जाति कुमावत आयु 38 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
15. महेन्द्र पुत्र श्री नाथूराम जाति कुमावत आयु 35 साल नि0 वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूमिधारक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।

अप्रार्थीगण,

उपस्थित :– 1. श्री गणपतलाल चौधरी, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. ,, हरफूल सिह खीचड़ अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधारा अं0 धारा 212 आरटीएक्ट 1955.

:: निर्णय :: दिनांक :: 20.11..2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम वैद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़, सीकर में कृषि भूमि ख0नं0 398, 399, 400, 402, 423/514 कुल किता 5 कुल रकबा 3.17 है0 एंव ख0नं0 388, 389, 390, 391, 392, 393/513, 394, 395, 396, 397, 397/503, 398/512 कुल किता 12 कुल रकबा 4.48 है0 एंव ख0नं0 405, 421 कुल किता 2 कुल रकबा 1.14 है0 ख0नं0 403, 404, 412, 414, 442 कुल किता 6 कुल रकबा 1.37 है0 अवस्थित है। वर्णित कृषि भूमि में संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार चले आ रहे है एंव भूमि का उपयोग उपभोग कृषि प्रयोजनार्थ करते चले आ रहे है। वर्णित खसरान की भूमि को मौके पर संयुक्त खातेदारों ने अपनी आपस सहमति एंव सहुलियत से विभाजित कर रखा है। परन्तु विधिक तौर पर उक्त भूमि का विभाजन नहीं हो पाया है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अविभाजित जोत चली आ रही है। खातेदारों की संख्या अधिक होने से कतिपय कारणों से राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि का विधिक विभाजन करने में असमर्थ रहे है। परिणाम स्वरूप उक्त भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो पाया है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का विधिक विभाजन करने एंव राजस्व अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का अन्य सहखातेदारों को कहने पर खातेदार आश्वासन देते रहे एंव कभी भी बंटवारे के लिये उपस्थित नहीं आये तथा टालमटोल करते रहे। प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर लगभग 40 सालों से

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

काबिज कृषक चला आ रहा है तथा अपने हिस्से की भूमि को समतल करके उसमें खाद इत्यादि डालकर पैड पौधे लगाकर सींव व मेड बनाकर उसकी उत्पादन क्षमता बढाकर कडी मेहनत एंव खर्चा लगाकर बा जोत करता चला आ रहा है। अन्य सह खातदारों की नियत में फितुर आने से सभी सह खातेदार वादी की जमीन को हडपना चाहते है तथा धनबल व गुंडा गर्दी के जरिये प्रार्थी की बेसकीमती समतल व सुधरी हुई जमीन पर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी शांत स्वभाग का व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण सभी उग्र एंव झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा राजनीतिक व सरकारी व्यक्तियों से उंची पहुंच व धनबल का डर दिखाकर प्रार्थी को तंग व परेशान करते रहते है। यदि अप्रार्थी अपने उक्त नापाक इदादे में कामयाब हो गये तो अपनी भूमि की आड में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर जबरन पक्का निर्माण कर लेगे जिससे प्रार्थी को बहुत नुकसान व असुविधा होगी एंव वाद बाहुलता बढेगी। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पेश कर इसे स्वीकार कर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आर0टी0एक्ट न्यायालय हाजा में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1/1 से 1/3, 2, 11,14 व 15 जरिये वकील उपस्थित आए तथा अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 2 सही होने से स्वीकार है। मद सं0 3 गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 4 व 5 सही होने से स्वीकार है। मद स0ं 6 गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 7 प्रार्थी स्वंय साबित करें। मद सं0 8, 9, 10, 11 जिस प्रकार से तहरीर की गई है, गलत होने से अस्वीकार है। विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2020 को पेश किया, जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में वर्णित कृषि भूमियों में बिना विभाजन व सीमाज्ञान के आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं करने तथा पक्का निर्माण नहीं करने हेतु स्थगन चाहा गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया तथा दिनांक 26.10.2021 को एक आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर उपरोक्त वर्णित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्राप्त किया गया है। जबकि मूल आवेदन में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गयी है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी भी रिकॉर्डेड सह खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मैंने बंटवारा का दावा पेश क़िया है। केवल एक अप्रार्थी/प्रतिवादी का ही जवाब पेश हुआ है। वाद में प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। जब तक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक टी0आई0 कंफर्म की जावे।

उप.....
उपखण्ड कलक्टर(मु.)सीकर

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी सं0 2 ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पांच खातों का दावा पेश किया है। खाता सं0 73 में मेरी 281/6325 हिस्से की खातेदारी है, शेष से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी मूल आवेदन में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गयी है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी भी रिकॉर्डेड सह खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,जवाब प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर मूल रूप से अप्रार्थीगण सं0 1 ता 03 व 11 ता 15 को बिना विधिक भू विभाजन के एंव सीमाज्ञान के किसी प्रकार की आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं कर पक्का निर्माण नहीं करने बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द करने बाबत पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया तथा दिनांक 26.10.2021 को एक आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर उपरोक्त वर्णित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्राप्त किया गया है। जबकि मूल आवेदन में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गयी है। अप्रार्थी सं0 2 की खाता सं0 73 में मेरी 281/6325 हिस्से की खातेदारी है। प्रार्थी द्वारा मूल आवेदन में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गयी है। चूंकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी भी रिकॉर्डेड सह खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर